न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी--श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 22/17

तारीख रजू-- 06/01/2017

1. लाडबाई पुत्री जन्सी पत्नि लड्डू लाल जाति मीना उम्र 50 वर्ष निवासी बोहरिया की झोपड़ी बाबई तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

--अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या पत्नि श्री रामसिंह जाति मीना निवासी आदलवाड़ा कलॉ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. राजन्ती पुत्री श्री रामसिंह पत्नि भरतलाल निवासी सिरोही तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर ।
3. काली पुत्री रामसिंह पत्नि रामप्रसाद जाति मीना निवासी भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
4. ममता पुत्री श्री रामसिंह पत्नि मुकेश मीना निवासी धुडासी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. मोहनी पुत्री रामसिंह पत्नि चौथमल जाति मीना निवासी चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक।
6. फालतू पुत्री रामसिहं जाति मीना निवासी आदलवाडा कलॉ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
7. रामकरण पुत्र जन्सी जाति मीना निवासी आदलवाड़ा कलॉ तहसील चौथ का बरवाड़ा।
8. सांवलराम पुत्र जन्सी जाति मीना निवासी आदलवाड़ा कलॉ तहसील चौथ का बरवाड़ा।
9. रामस्वरूप पुत्र जन्सी जाति मीना निवासी आदलवाड़ा कलॉ तहसील चौथ का बरवाड़ा।
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
11. सहायक भू--प्रबन्ध अधिकारी जिला टोंक राज0।

--रेस्पोडेन्टान

निर्णय　　　　दिनांक--. 4.1.19.

अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 25/10/96 वाके ग्राम आदलवाड़ा कलॉ व नामान्तरण सं0 420 निर्णय दिनांक 16.11.1996 ग्राम आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम आदलवाड़ा कलॉ में अपीलार्थी के भाई रामसिंह, रामकरण, सांवलराम, रामस्वरूप माता धापू के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। जिसमें अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा था। साथ ही नामान्तरकरण सं0 23 दिनांक 25.10.96 एवं नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 16.11.1996 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा रेस्पो0 सं0 7 व 8 द्वारा तामील लेने से इन्कार करने पर रेस्पों सं0 7 व 8 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0सं0 1 लगायत 6 की और से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने मीमो ऑफ ऐपिरिन्स प्रा0पत्र प्रस्तुत कर आगामी पेशी पर वकालत नामा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया। किन्तु 16 पेशी निकल जाने पर भी वकालत नामा पेश नहीं करने पर रेस्पों0 सं0 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पों0 सं0 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पों सं0 10 व 11 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

लाडबाई पुत्री जन्सी पत्नि लडडू लाल
जाति मीना निवासी बोहरिया की झोपडी,

14/अ

अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम आदलवाड़ा कलां व आदलवाड़ा खुर्द में अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि थी। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण दिनांक 25/10/96 व 16/11/96 को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक द्वारा अपीलार्थी के भाई रामसिंह, रामकरण, सांवलराम, रामस्वरूप माता धापू के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। जिसमें अपीलार्थीया का 1/6 हिस्सा था। अपीलार्थीया मृतक जन्सी की वैध वारिस पुत्री थी। जिसका नाम नामान्तकरण में आना चाहिए था, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 25/10/96 वाके ग्राम आदलवाड़ा कलॉ व नामान्तरण सं0 420 निर्णय दिनांक 16.11.1996 ग्राम आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीया हमारी बहन है तथा अपीलर्थीया के कथन से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि मृतक जन्सी की ग्राम आदलवाड़ा कलां व आदलवाड़ा खुर्द में स्थित खातेदारी भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज करने हेतु रेस्पोंडेन्ट ने अपनी सहमति प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 23 आदेश दिनांक 25/10/96 वाके ग्राम आदलवाड़ा कलॉ व नामान्तरण सं0 420 आदेश दिनांक 16.11.1996 ग्राम आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक जन्सी के विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 4.1.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर